

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(7)एमई/ग्रुप-1/1989

जयपुर, दिनांक 12/9/17


-: : आदेश : :-

डॉ० जयन्ति मेहता, आचार्य, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज जयपुर को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2017 के क्रम में दिनांक 23.10.2017 (मध्याह्न पश्चात) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० जयन्ति मेहता, आचार्य, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज जयपुर के विरुद्ध आज तक:-

- (1.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3.) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० जयन्ती मेहता को आदेश तामिल करवाकर तामिल रसीद भिजवाने का श्रम करे।
3. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, जयपुर।
5. डॉ० जयन्ती मेहता, आचार्य, पैथोलोजी द्वारा मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव